

विषय :

एफ14 - 65 / 2016 / 2 / पांच
पंजी कमांक 893 / 2016 / 2 / पाँच
रिट याचिका कमांक 1308 / 16 द्वारा मेसर्स ओयसिस
डिस्टलरीज प्रा.लि. विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

का विभाग
C.T

पंजी कं. 893 / 2016 / 2 / पाँच दिनांक 27.02.2016
आबकारी आयुक्त का ज्ञाप. कं. 736 / दिनांक 24.02.16
पंजी कं. 914 / 2016 / 2 / पाँच दिनांक 29.02.2016
डिप्टी एडवोकेट जनरल उच्च न्यायालय बेंच इन्दौर से
प्राप्त पत्र कं. 1578 दिनांक 19.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्रों का अवलोकन करें।

2/ आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने रिट याचिका कमांक 1308 / 16 द्वारा मेसर्स ओयसिस डिस्टलरीज प्रा.लि. विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य की प्रति उपलब्ध कराते हुये लेख किया है कि राज्य में स्थित डिस्टलरीज द्वारा बढ़ायी गई उत्पादन क्षमता से संबंधित है। अतः प्रकरण में शासन की ओर से पक्षसमर्थन करने हेतु उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर विधि विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

3/ इसी संबंध में डिप्टी एडवोकेट जनरल ने उनके पत्र दिनांक 19.02.2016 द्वारा प्रकरण में लेख किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2016 को संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय।

4/ अतः आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रकरण में उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु आदेश की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त पत्र की छायाप्रति आबकारी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाना उचित होगा।

तदनुसार दो प्रारूप की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अनुभागे अधिकारी

11/8/16

1/3/16

01-3-16

02/03/16

02-3-16

21/3/16

कमांक	781
दिनांक	10
जांच	183

2-3-2016

विषय :

एफ14 - /2016/2/पांच
पंजी कमांक 893/2016/2/पांच
रिट याचिका कमांक 1308/16 द्वारा मेसर्स ओयसिस
डिस्टलरीज प्रा.लि. विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी कर
दिये गये है अतः नस्ती प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु विधि
विभाग को अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अनुभाग अधिकारी

W
8/3/16

8/3/16

8-3-16

विधि विभाग

8/3/16
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
उप सचिव
म.प्र. शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

7/38

का.का.
10-3-16

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- 893/2016/2/पॉच

भोपाल दिनांक 2.3.2016

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर को (पक्षकार के नाम रिट याचिका क्रमांक 1308/16 द्वारा मेसर्स ओयसिस डिस्टिलरीज प्रा.लि. विरुद्ध आबकारी आयुक्त में मध्यप्रदेश राज्य में तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अपवर्चनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिनसे मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।
2. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषकों की सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजे :-
 - (क) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले में विशादीकरण के लिए आवश्यक कागज-पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की हैं, सुनवाई तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रिम और प्रगति में नियम किये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किये जाएं तथा विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेंगे।

10. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने की और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंपे जाने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए।
12. प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाय।
13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर हो तो वह जैसी ही वाद का विनिश्चय होता है। परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की एक प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।
14. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो सह उपवाद के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किये गये किसी अन्तर्गत आदेशों का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाय, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Handwritten signature
02-3-16

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Handwritten MU-65/2016
पृष्ठांकन - /893/2016/2/पॉच

भोपाल दिनांक 23-3-2016

प्रतिलिपि :-

1. शासकीय अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय 501 निर्मल टावर, पांचवी मंजिल, 26 बारहखम्बा रोड, कनाट पैलेस, नई दिल्ली-110001।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर बेंच मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/भोपाल।
4. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर/महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. **उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर** प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से कार्यवाही करने के लिए और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। मामले की सुनवाई की तारीख हेतु नियुक्ति की गई है।

Handwritten signature
02-3-16

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Pushyamitra Bhargava

**Dy. Advocate General
High Court of M.P.**



OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
HIGH COURT OF M.P. BENCH INDORE
Ph : (O) 2510139, 2524755, 2524756
Fax : 0731-2528847
Mob. : 98268-48077
E-mail : advlagind@nic.in
advpushyamitra@gmail.com

FAX URGENT O. No. 1578 Date 19.2.2016

To,
The Principal Secretary,
Govt. of MP, Commercial Tax Department,
Mantralaya, Bhopal.

The Commissioner,
Excise MP, Gwalior.

The Dy. Excise Commissioner,
Indore.



Sub:- W.P. No. 1308/2016 M/s. Oasis Distillers Ltd. Vs. State of MP & Others.

The aforementioned petition was listed today for admission and interim relief. By way of the present writ petition, the petitioner has challenged the clause regarding production capacity mentioned in the tender notice for supply of country spirit in sealed bottles in 51 districts of MP.

The petitioner is seeking interference by this Hon'ble Court for amending Condition No. 3 sub clause 3 "production capacity" by substituting the word 'D-1 Distillery license' with "permission granted by Respondent No.2", as MP Pollution Control Board has issued certain conditions regarding installation of distilleries.

After hearing the counsel for petitioner, the Hon'ble Court was pleased to direct the State Respondents to take necessary instructions for consideration of the interim relief.

It is, therefore, requested to send the competent officer alongwith relevant document so that the Hon'ble Court can be apprised with the necessary instructions. The matter is now listed for hearing on 24/02/2016. Kindly take this matter on priority basis.

**[Pushyamitra Bhargava]
Deputy Advocate General
High Court of MP Bench
At Indore.**

क्र. 285/प्र.स./वाणिज्यक कच/2016
दिनांक 26/2/16

DSCCAG
W

27/02/16
U/S
27-02-16
25
(अखिलेश देवाशर्मा)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, भोपाल
पृ. क्रमांक 144-65/2016 / 914 / 2016 / 2 / पांच, भोपाल, दिनांक 2 / 03 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर (प्रभारी अधिकारी) की ओर तत्काल उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में की गई कार्यवाही से इस विभाग को यथाशीघ्र सूचित करें।


02/3/16

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE

WRIT PETITION No. 1308 /2016

PETITIONER : M/s Oasis Distilleries Ltd.

Versus

RESPONDENTS : State of M.P. & Others

INDEX

S. No.	Description of Documents	Date	Annexure No. (if any)	Page No. of Documents
1.	Chronology of dates and events			A-A
2.	Writ petition along with affidavit			1-16
3.	List of Documents			17-17
4.	Copy of tender notice dated 12-02-2016		P/1	18-30
5.	Copy of Affidavit filed by petitioner before Respondent No. 1 at the time of submitting tender for previous year, Copy of D-1 license and permission granted by Respondent No. 2,		P/2	31-40
6.	Copy of D-1 license of M/s Agrawal Distilleries		P/3	41-42
7.	Copy of permission granted to M/s Agrawal Distilleries by Respondent No. 2		P/4	43-44
8.	Copy of D-1 license of M/s Associated Alcohol		P/5	45-46
9.	Copy of permission granted to M/s Associated Alcohol by Respondent No. 2		P/6	47-47
10.	Copy of D-1 license of M/s Vinidhyachal Distilleries		P/7	48-49

True Copy

Abhinav P. Dhamodkar
Abhinav P. Dhamodkar
Advocate